

ber, 1964 and made serious complaints against the present Chief Minister and demanded his immediate removal from Chief Ministership; and

(d) if so, what action Government propose to take thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JAISUKHLAL HATHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A deputation consisting of 18 persons saw the President on the 5th October, 1964, drew his attention to the state of administration in Orissa and asked for the setting up of a Commission of Enquiry.

(d) The matter is under examination by Government.

पाकिस्तानी षड्यन्त्रकारियों का गिरोह

५६२. श्री गिरिराज किशोर कपूर : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जम्मू और काश्मीर राज्य में बारामूला में पाकिस्तानी षड्यन्त्रकारियों के एक नये गिरोह का भण्डा फोड़ हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह के कार्य किस प्रकार के हैं ?

†[GANG OF PAKISTANI CONSPIRATORS

592. SHRI G. K. KAPOOR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether recently a new gang of Pakistani conspirators has been unearthed in Baramulla in the Jammu and Kashmir State; and

(b) if so, the nature of activities of the gang?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) और (ख) हमारी सूचना से इस कथन का कि बारामूला में पाकिस्तानी षड्यन्त्रकारियों के एक गिरोह का पता चला है, समर्थन नहीं होता है। बारामूला में २८ सितम्बर, १९६४ को जो दो विस्फोट हुए थे, उनके सम्बन्ध में वहां की पुलिस ने लगभग २० व्यक्तियों को पूछताछ के लिये पकड़ा है। अभी तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JAISUKHLAL HATHI): (a) and (b) Our information does not bear out the statement that a gang of Pakistani conspirators has been unearthed in Baramulla. In connection with two explosions which took place at Baramulla on 28th September 1964, the local police rounded up some 20 persons for interrogation. No prosecution has yet been launched.]

दिल्ली में शिक्षा देने वाली बुकानें तथा कोचिंग की संस्थाएँ

५६३. श्री गिरिराज किशोर कपूर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शिक्षा देने वाली तथा कोचिंग की कितनी संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों का औसत वेतन क्या है ;

(ख) इन संस्थाओं में लगभग कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और क्या ये संस्थाएं स्कूलों तथा कालिजों के भ्रामक नामों पर चलाई जा रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन अमान्य संस्थाओं के धार सुतथा नियन्त्रण के लिये कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†[TEACHING SHOPS AND COACHING INSTITUTIONS IN DELHI

593. SHRI G. K. KAPOOR: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the number of teaching and coaching institutions in Delhi and the average pay of teachers working in these institutions;

(b) the approximate number of students receiving education in these institutions and whether institutions are being run under the misleading names of schools and colleges; and

(c) whether Government are taking any steps for the improvement and control of these unrecognised institutions; and if so, the details thereof?]

शिक्षा मंत्री (श्री एम० सी० चागला) :

(क) और (ख) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है; क्योंकि ये संस्थाएं न तो शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और न ही इन्हें कोई सहायता दी जाती है और न ही इनकी संख्या आदि के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने बंगलौर में, अक्टूबर में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि अनधिकृत व्यक्तियों को संस्थाएं स्थापित करने, परीक्षाएं आयोजित करने, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करने तथा विश्वविद्यालय उपकुलपति आदि जैसे नाम रखने से रोकने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें विधान की सहायता ही क्यों न लेनी पड़े। इस सिफारिश को जांच तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों के पास भेजा जा रहा है। भारत सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से, इस प्रयोजन के लिए एक आदर्श विधान का मसौदा तैयार कर रही है।

†[THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI M. C. CHAGLA): (a) and (b) No information is available as these institutions are neither recognised nor aided by the Education Department, nor has any survey regarding their number etc. been made.

(c) The Central Advisory Board of Education in its meeting held at Bangalore in October recommended that States should take necessary action, including legislation, to prevent unauthorised people from setting up institutions, conducting examinations, awarding diplomas and certificates and adopting names such as Universities, Vice-Chancellors, etc. This recommendation has been forwarded to the State Governments for examination and suitable action. The Central Government is also drafting a model legislation for this purpose in consultation with State Governments.]

भारत में घुस आने वाले पाकिस्तानी

५९४. श्री गिरिराज किशोर कपूर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यहां घुस आने वाले लगभग ३०,००० पाकिस्तानी, जिन्हें असम में उनके अवैध प्रवेश के बाद निकाला जा चुका था, गत मास फिर से उस क्षेत्र में घुस आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें पुनः निकालने के लिये क्या-क्या काम उठाये हैं ; और

(ग) अवैध रूप से आने वाले अनुमानतः कितने व्यक्ति अभी तक आसाम में रह रहे हैं ?